564/2
28/9/12
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
कोष/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड : 2

संख्या : 2, 3, 4, 5, 6

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वितीय सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : **25 जून 1990 ई०**
मंगलवार, दिनांक : **26 जून 1990 ई०**
बुधवार, दिनांक : **27 जून 1990 ई०**
वृहस्पतिवार, दिनांक : **28 जून 1990 ई०**
शुक्रवार, दिनांक : **29 जून 1990 ई०**

घटनाओं की रोकथाम हेतु पुनः निर्देश दिये हैं। इनके कार्यान्वयन का भी अनुकूल प्रभाव फिरौती, अपहरण के कांडों को रोकने पर पड़ा है और जून में अभी तक एक भी कांड प्रतिवेदित नही हुआ है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

19. श्री शिवाधर पासवान :क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

प्रभारी मंत्री :

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के राजकुँअसा गांव में मई, 1990 में जातीय संघर्ष में तीन हरिजन एवं तीन कोईरी जाति के लोग मारे गये हैं;

(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले विधान-सभा चुनाव से ही गांव में तनाव व्याप्त था और उसकी जानकरी जिला प्रशासन को थी;

(2) उत्तर नकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि महतो जाति के लाली महतो के अवैध आग्नेयास्त्र था जिसे उन्होंने राजू पासवान के यहां रखा था और मांगने पर नहीं लौटाया फल-स्वरूप दोनो पक्षों में गहरा मतभेद हो गया।

(ख) घटना का दूसरा कारण यह है कि पासवान जाति के लड़को ने घटना के पूर्व बैर के पेड़ को काट कर महतो के अरूई की लगी फसल की खेत में गिरा दिया जिससे फसल बर्बाद हो गयी जिससे दोनों वर्गों में तू-तू मैं-मैं हुई थी।

(ग) पासवान जाति के दो लड़के जो साईकिल से जा रहे थे कि रघुनाथ महतो के बैलगाड़ी से टक्कर लग गई जिसे दोनो के बीच वाद विवाद हुआ और रघुनाथ महतो (गाड़ीवान) ने पासवान के लड़को के साथ मार पीट की।

(घ) दिनांक 25.5.90 को पासवास लोगों ने आसु महतो एवं लालू महतो को रास्ते में पकड़ककर वसवन बिगहा ले गये थे। कोईरी और पासवान में आपसी पंचायती के माध्यम से इनलोगों को मुक्त कराया गया लेकिन विवाद के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई निर्णय नहीं हुआ।

इन्ही सब कारणों से दोनों जातियों के बीच मार पीट हुइ थी। जिसमें दोनों पक्षों से तीन तीन व्यक्ति मारे गये थे। जिला प्रशासन को घटना के पूर्व कोई सूचना किसी सूत्र से नही मिली थी।

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जिला प्रशासन की लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

(3)प्रश्न ही नही उठता।

असामजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई

21. **श्री शिव नन्दन झा :** क्या मंत्री, गृह आरक्षी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

श्री लालू प्रसाद :

(1) क्या यह बात सही है कि जिला गोपालगंज थाना सिघवलिया ग्राम हलुआर तिवारी टोला के श्री अशोक कुमार तिवारी ने दिनांक 17.4.90 को स्थानीय थाना जमादार के

(1) वस्तुस्थिति यह है कि उक्त ग्राम के रामाधार तिवारी पे० प्रयाग तिवारी एवं अन्य ने शीशम के पेड़ (तीन मोटा एवं सात पतला) कटवा लिया है।